



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक-29.07.2025 को थाना-रौनापार पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनारण करते हुए 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद ईट व अभियुक्तों के खून से लतपत कपड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

थाना-रौनापार

24 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद ईट व अभियुक्तों का खून से लतपत कपड़ा बरामद किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.07.2025 को वादी विजय कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रजापति निवासी ग्रा0 हरिपरा पो0 गोठा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरा भाई विनय कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रजापति जो ग्राम रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में मोती चन्द पुत्र इन्द्राशन के घर कई वर्षों से रहकर चारा-पानी का कार्य करता था, के बारे में सुबह मुझे सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में ईट से सर कूचकर उसकी हत्या कर दिया है, इस सूचना पर जब मैं ग्राम रैचन्दपट्टी पहुंचा तो लोगों से जानकारी मिली की मेरे भाई का दो दिन पहले रैचन्दपट्टी गांव के ही 02 लड़कों से झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दिया था। मुझे शक है कि वही लोग मार सकते हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 284/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. बनाम नामजद 02 अभियुक्तों 1. टिकू उर्फ साहिल पुत्र देवेन्द्र हरिजन निवासी रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 02. एक बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 29.07.2025 को थानाध्यक्ष मन्तोष सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. टिकू उर्फ साहिल पुत्र देवेन्द्र हरिजन निवासी रैचन्दपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को बघावर तिराहे से 50 मीटर आगे बेलकुण्डा रोड से रात्रि समय 01.10 बजे गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्त टिकू उर्फ साहिल उर्फ अमन द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ने बताया कि विनय प्रजापति पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रजापति निवासी हरिपरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ने मुझसे व मेरे दोस्त से तीन दिन पूर्व शराब पीने में झगड़ा किया था झगड़े में विनय प्रजापति द्वारा हम दोनों को बहुत गालियां दी गईं, जिससे हम दोनों की गाँव में बहुत बेईज्जती हुई उसी बेईज्जती का बदला लेने के लिये हम दोनों ने मिलकर विनय प्रजापति को जान से मारने की योजना बनायी। पिछली रात विनय प्रजापति जब मोतीचन्द के ट्यूबेल के पास चारपाई पर सोया था तो हम दोनों लोग उसके चारपाई के पास गये तथा मेरे दोस्त ने विनय प्रजापति का हाथ पकड़ लिया तथा मैंने वही पास रखे ईट से उसके सिर पर कई बार प्रहार कर जान से मार दिया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि विनय प्रजापति की हत्या करते समय हम लोगो के कपड़ो पर खून के छीटे पड़ गये थे हम दोनो लोग पकड़े न जाये इस कारण खून लगे कपड़े को रैचन्दपट्टी गाँव के बाहर सरकारी ट्यूबेल के सामने रोड पर सरपत में छिपा दिये हैं। अभियुक्त के निशानदेही पर अभियुक्तों के खून से लतपत कपड़े बरामद किये गये।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 284/2025 धारा 103(1) BNS थाना रौनापार, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. टिकू उर्फ साहिल उर्फ अमन पुत्र देवेन्द्र हरिजन निवासी ग्राम रैचन्दपट्टी थाना रौनापार आजमगढ़।

1- मु0अ0सं0 05/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार, आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 284/2025 धारा 103(1) BNS थाना रौनापार, आजमगढ़।

02. एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

1- मु0अ0सं0 284/2025 धारा 103(1) BNS थाना रौनापार, आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक अदद घटना में प्रयुक्त ईट

02. अभियुक्त के निशानदेही पर अभियुक्तों का खून से लतपत कपडे

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष मन्तोष सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3. का0 चालक उमेश सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

4. का0 सुनील कन्नौजिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

5. का0 उपेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

6. म0का0 स्वाती दीक्षित थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

7. का0 अखिलेश पटेल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

8. का0 नागेन्द्र यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

9. का0 चालक अमितेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।



